न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–170/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मार्गरेट भेंगरा – विक्रेता

प्रिया सुचिता होरो – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

12.03.20

आदेश

आवेदक मार्गरेट भेंगरा पति स्व0 सुखलाल केरकेट्टा ग्राम–कटहल टोली, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने प्रिया सुचिता होरो पिता प्रेम लाल होरो ग्राम–प्रेम नगर खूँटी टोली खूँटी, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
खूँटी	83	03	1395	0.73

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0774955821 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 32 दिनांक 14.01.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0– 625 दिनांक 9.09.88 द्वारा क्रय किया है।खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक नाम लगान पाने वाल बड़ाईक हरगोविन्द सिंह है। पंजी II के अनुसार मारग्रेट भेंगा के नाम भूमि का रकवा 1.16½ एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 1.16½ एकड़ भूमि के अलावे अन्य मौजा चचकपी खाता सं0 21 रकबा 2.70 एकड़ भूमि कुल रकबा 3.86½ एकड़ भुमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 72473.00 (बहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.13½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

प्रिया सुचिता होरो द्वारा समर्पित शपथ सं0– 320 दिनांक 05.03.20 के अनुसार वे वर्तमान में अविवाहित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मार्गरेट भेंगरा पति स्व0 सुखलाल केरकेट्टा को प्रिया सुचिता होरो पिता प्रेम लाल होरो के साथ ग्राम खूँटी के खाता सं0 03 खेसरा संख्या 1395 कुल रकबा 0.73 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 72473.00 (बहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

12/03/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

12/3/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।